

सराहनीय कार्य जनपद अलीगढ़



****“सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा”****

प्रेस नोट – थाना देहलीगेट, अलीगढ़

दिनांक:- 03.05.2021

एंटी क्राइम हेल्प लाइन नम्बर 9454402817 पर प्राप्त शिकायत पर थाना देहलीगेट पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन निहत्था के तहत 02 अभियुक्त किये गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असलहा व जिन्दा कारतूस बरामदा।

सोशल मीडिया पर तमंचा लहराना पड़ा भारी, पहुँचे हवालात।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अलीगढ़ महोदय द्वारा जनपद में गली मोहल्ले में होने वाले अपराध, मादक तस्करी, जुआ, शराब तस्करी की रोकथाम हेतु जारी किये गये एंटी क्राइम हेल्पलाइन नं० 9454402817 पर आम जनता सूचना दे सकती है जिसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। उसी क्रम में दिनांक 28.04.21 को शाहजमाल मरघट का रहने वाला आमिर उर्फ गुड्डू का नाम व्यक्ति व उसके दो साथी अवैध असलहा जनता के बीच में लहराते हुए फोटो वायरल हुई जिसकी शिकायत एंटी क्राइम हेल्पलाइन नंबर 9454402817 पर प्राप्त हुई। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगणों के विरुद्ध तत्काल मु०अ०सं० 332/21 धारा 336/506 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी।

दिनांक 02.05.2020 को थाना प्रभारी देहलीगेट के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभि० 1. आमिर नवी पुत्र गुड्डू पुत्र मुस्ताक गुलाव नवी निवासी गली नं० 11 तेलीपाड़ा शाहजमाल थाना देहलीगेट अलीगढ़ 2. हैदर अली पुत्र मुवसिर अली निवासी 5 नम्बर स्कूल के आगे गन्दे नाले वाली गली सराय मिया थाना बन्नादेवी, अलीगढ़ को 02 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित नीवरीं

मोड के पास से गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. आमिर नवी पुत्र गुड्डू पुत्र मुस्ताक गुलाव नवी निवासी गली न0 11 तेलीपाड़ा शाहजमाल थाना देहलीगेट, अलीगढ़
2. हैदर अली पुत्र मुवसिर अली निवासी 5 नम्बर स्कूल के आगे गन्दे नाले वाली गली सराय मिया थाना बन्नादेवी, अलीगढ़

बरामदगी का विवरण –

- 02 तमंचा 315 बोर
02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 332/21 धारा 336/506 भादवि थाना देहलीगेट जनपद अलीगढ़ बनाम आमिर व हैदर अली।
2. मु0अ0सं0 341/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना देहलीगेट अलीगढ़ बनाम आमिर।
3. मु0अ0सं0 342/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना देहलीगेट, अलीगढ़ बनाम हैदर अली।

पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री आशीष कुमार सिंह थाना देहलीगेट, अलीगढ़
2. व0उ0नि0 श्री अहमद हसन थाना देहलीगेट, अलीगढ़
3. उ0नि0 श्री नवीन कुमार थाना देहलीगेट, अलीगढ़
4. मु0आ0 49 रजनीश थाना देहलीगेट, अलीगढ़
5. आरक्षी 1554 नकुल सांगवान थाना देहलीगेट, अलीगढ़



प्रेस नोट- थाना खैर,अलीगढ़

दिनांक:- 03.05.2021

थाना खैर पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत वांछित अभियुक्त किया गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,अलीगढ़ महोदय द्वारा वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन प्रहार के क्रम में प्रभारी निरीक्षक खैर श्री प्रवेश कुमार मय पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 03/05/21 को मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त अजय पुत्र तालेवर नि0 ग्राम मऊ थाना खैर अलीगढ़ सोमना मोड कस्बा खैर से गिरफ्तार किया गया है जिसके सम्बन्ध में दिनांक 9/1/21 को मु0अ0सं0 019/21 धारा 147/148/149/302/506 भादवि पंजीकृत है। जिसमें अभियुक्त अजय पुत्र तालेवर नि0 ग्राम मऊ थाना खैर अलीगढ़ नामित व वांछित अभियुक्त है जो काफी समय से फरार चल रहा था को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय तथ्य..

यह है कि दिनांक 09/01/2021 को ग्राम मऊ थाना खैर अलीगढ़ मे सत्यपाल की हत्या कर दी गयी थी उसी में साजिश के तहत उक्त अभियुक्त अजय पुत्र तालेवर नि0 ग्राम मऊ थाना खैर, अलीगढ़ अपने को योजना के तहत दिनांक 02/01/2021 को थाना बन्नादेवी, अलीगढ़ से 3/25 आर्म्स एक्ट में स्वयं अपने को गिरफ्तार कराकर जेल चला गया था ताकि हत्या के मुकदमे में उसका नाम ना आये और बाकी अभियुक्तों की पैरवी वह कर सके। विवेचना से यह बात प्रमाणित हुई है।

गिरफ्तार अभिगण

1 अजय पुत्र तालेवर नि0 ग्राम मऊ थाना खैर, अलीगढ़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त ---

1. मु0अ0सं0 019/21 धारा 147/148/149/302/506 भादवि थाना खैर, अलीगढ़
2. मु0अ0सं0 101/21 धारा 147/148/307/427 भादवि थाना खैर, अलीगढ़
3. मु0अ0सं0 06/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बन्नादेवी, अलीगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार थाना खैर, अलीगढ़
2. उनि0 श्री शुभम शर्मा थाना खैर, अलीगढ़
3. का0 1798 सूर्यप्रताप सिंह थाना खैर, अलीगढ़
4. का0 1157 रक्षपाल सिंह थाना खैर, अलीगढ़



प्रेस नोट – थाना गाँधीपार्क, अलीगढ़

दिनांक:- 03.05.2021

थाना गाँधीपार्क पुलिस टीम द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्करी गिरफ्तार, कब्जे से 01 कि०ग्रा० अवैध गाँजा बरामद।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अलीगढ़ महोदय द्वारा जनपद में मादक पदार्थ की तस्करी रोकने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना गाँधीपार्क के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनांक 02/05/2021 को चैकिंग व रात्रि गश्त के दौरान अभि० सिकन्दर उर्फ शिवकुमार पुत्र राजाराम निवासी नटवाली गली नौरंगाबाद छावनी थाना गाँधीपार्क, अलीगढ़ को 01 कि०ग्रा० अवैध गाँजे सहित अम्बेडकर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया। जिसके सम्बन्ध में थाना पर मु०अ०सं० 295/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

सिकन्दर उर्फ शिवकुमार पुत्र राजाराम निवासी नटवाली गली नौरंगाबाद छावनी थाना गाँधीपार्क, अलीगढ़

विवरण बरामदगी – 01 कि०ग्रा० अवैध गाँजा

पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हरिभान सिंह राठौड थाना गाँधीपार्क जनपद अलीगढ़
2. उ०नि० श्री योगेश कुमार तिवारी थाना गाँधीपार्क जनपद अलीगढ़
3. का० 544 बलवीर सिंह थाना गाँधीपार्क जनपद अलीगढ़



प्रेस नोट थाना मडराक, अलीगढ़

दिनांक:- 03.05.2021

***थाना मडराक पुलिस टीम ने #ऑपरेशन_प्रहार के तहत
02 शातिर चोर किये गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल
बरामद।***

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ महोदय के आदेशानुसार वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाये जा रहे #ऑपरेशन_प्रहार के क्रम में थानाध्यक्ष श्री राजीव कुमार के नेतृत्व में उ०नि० श्री नरेन्द्र सिंह व उ०नि० श्री किरणपाल सिंह मय फोर्स द्वारा दिनांक 02/03.05.2021 की रात्रि में ग्रामीणों की मदद से बिजली के खम्बों से एंगल व कोईल (तार) चोरी करने के अभि० गगन पुत्र लाखन सिंह नि० डोरीनगर पला फाटक थाना गांधीपार्क, अलीगढ़ व अभि० भोला उर्फ भानूप्रताप पुत्र प्रमोद कुमार नि०- नंगला मानसिंह थाना गांधीपार्क जनपद अलीगढ़ को मय चोरी की दो एंगल, क्लिप, चाबी के साथ मईनाथ सूखा बम्बा के पास से पकड़ लिया। इस सम्बन्ध में थाना मडराक पर मु०अ०स० 114/2021 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया। पकड़े गये अभियुक्तों से थाना लाकर पूछताछ की गयी तो बताया कि हम दोनों डिगसी बिजली घर गौण्डा रोड पर काम करते थे अब बिजली पेट्टी ठेकेदारी का काम करते हैं तथा बताया कि दि० 15.03.2021 को ग्राम मईनाथ से ट्रांसफार्मर का कोईल (तार) चोरी व दि० 16/17.03.2021 को ग्राम पला एसी के जंगल से ट्रांसफार्मर का कोईल (तार), ट्रांसफार्मर का मैन ढक्कन, ट्रांसफार्मर की कोर पत्ती, पैकिंग गत्ता, एल्युमिनियम की ट्रांसफार्मर व लाइन को जोड़ने वाली पत्ती को चोरी करना बताया। जिस घटना के सम्बन्ध में थाना पर मु०अ०सं० 53/21 धारा 136,138 विद्युत अधिनियम पंजीकृत है। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में अभि०गणों द्वारा कुछ सामान कबाड़ी को बेचना बताया तथा कुछ सामान ग्राम कमालपुर के पास निर्माणाधीन कालोनी में झाड़ियों में दबा होना बताया। इस पर दोनों अभियुक्तों की निशांदाही पर ग्राम कमालपुर के पास निर्माणाधीन कालोनी से ट्रांसफार्मर का मैन ढक्कन, ट्रांसफार्मर की 189 छोटी-बड़ी कोर पत्ती, दो पैकिंग गत्ता व एल्युमिनियम की ट्रांसफार्मर व लाइन को जोड़ने वाली पत्ती व लगभग 30 कि०ग्रा० ट्रांसफार्मर का कोईल

(तार) बरामद किया। बरामदगी के आधार पर धारा 411 भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी। अभि0गणों की गिरफ्तारी व बरामदगी पर उच्चाधिकारियों व जनता के व्यक्तियों द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी है । गिरफ्तार अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. अभि0 गगन पुत्र लाखन सिंह नि0 डोरीनगर पला फाटक थाना गांधीपार्क अलीगढ़
2. अभि0 भोला उर्फ भानूप्रताप पुत्र प्रमोद कुमार नि0- नंगला मानसिंह थाना गांधीपार्क जनपद अलीगढ़

बरामदगी:-

1. *मु0अ0सं0 53/21 धारा 136/138 विद्युत अधिनियम व 411 भा0द0वि0 से सम्बन्धित--*

 - 30 कि0ग्रा0 ट्रांसफार्मर का कोइल (तार) एल्युमिनियम
 - ट्रांसफार्मर का मैन ढक्कन
 - ट्रांसफार्मर की 189 कोर पत्ती
 - दो पैकिंग गत्ता
 - एल्युमिनियम की ट्रांसफार्मर व लाइन को जोड़ने वाली पत्ती।

2. *मु0अ0सं0 114/21 धारा 379/411 भा0द0वि0 से सम्बन्धित--*

 - ट्रांसफार्मर व खम्बों पर चढ़ने वाले दो पैरों के पन्जे स्लीपर जडे
 - 07 क्लिप,
 - 06 बोल्ट
 - 02 बोल्ट खोलने की चाबी 5.02 एंगल

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 114/2021 धारा 379/411 भादवि थाना मडराक
जनपद अलीगढ
2. मु0अ0सं0 53/21 धारा 136/138 विद्युत अधिनियम व 411
भा0द0वि0 थाना मडराक अलीगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. थानाध्यक्ष श्री राजीव कुमार थाना मडराक, अलीगढ
2. उ०नि०श्री नरेन्द्र सिंह थाना मडराक, अलीगढ
3. उ0नि0 श्री किरणपाल सिंह थाना मडराक, अलीगढ
4. का0 2159 जयपाल थाना मडराक, अलीगढ
5. का0 823 प्रमोद थाना मडराक, अलीगढ



